

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/563

दिनांक : 04/06/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय,  
जैसलमेर।

विषय : श्री ओमप्रकाश बलाई, नर्स श्रेणी द्वितीय को कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि निदेशालय के आदेश 1152 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा श्री ओमप्रकाश बलाई, नर्स श्रेणी द्वितीय को 'आदेशों की प्रतीक्षा' से आपके अधीन नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। जिस पर श्री बलाई द्वारा आपके अधीन लम्बी अवधि के उपरान्त कार्यग्रहण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर मूल ही प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर को अग्रेषित किया गया है।

अतः श्री ओमप्रकाश बलाई, नर्स श्रेणी द्वितीय को पुनः आपके कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर भिजवाया जा रहा है। श्री बलाई को आपके अधीन मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें तथा कार्मिक के स्वैच्छा से अनुपस्थिति एवं राजकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही के प्रकरण में इनके विरुद्ध प्राथमिक जांच कराते हुये दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नियमानुसार आरोप पत्रादि भिजवायें।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-जोधपुर/उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ/जैसलमेर।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
4. प्रशासन अधिकारी, अराजपत्रित/गोपनीय (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
5. संस्थापन अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. श्री ओमप्रकाश बलाई, नर्स श्रेणी द्वितीय जिन्होंने दिनांक 14.05.2018 को निदेशालय, मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है, को आज कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर